सियावा विध्वंस : एक जनजातीय सैन्य प्रतिरोध ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

डॉ. अशोक कुमार चुनीलाल
सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, सरकारी कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, देडियापाड़ा, जि. नर्मदा, गुजरात-393040
doi.org/10.64643/IJIRTV12I8-190937-459

सारांश- भारत भूमि का कोई भी खंड ऐसा नहीं हैं जिसने इतिहास के पन्नों में अपना विशिष्ट स्थान स्थापित न किया हो। ऐसे ही राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित सियावा गांव इतिहास में अपना एक अलग ही स्थान रखता है। यह शोधपत्र 1921-22 ई. के दौरान सियावा गांव में औपनिवेशिक अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध चले जनजातीय सैन्य प्रतिरोध का ऐतिहासिक-भौगोलिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करता है। ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना और विस्तार ने राजस्थान में भील और गरासिया आदि जनजातीय समुदाय के पारंपरिक जीवन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था। अंग्रेजों ने अधिक से अधिक लगान वसूलने, वन्य संपदा और खनिजों के दोहन और ईसाई धर्म के प्रसार आदि से स्वतंत्र और स्वच्छंद जनजातीय जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। ब्रिटिश संरक्षण और प्रोत्साहन से भू-राजस्व, वन, न्याय, पुलिस एवं विविध कर कानून; बेगार प्रथा; साहूकारी प्रथा जैसी व्यवस्थाएं जनजातीय समाज के शोषणकारी और अत्याचारी सिद्ध हुई। जिस पर भील और गरासिया जनजातियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सामंती व्यवस्था के विरुद्ध करबंदी के रूप में एक सामाजिक एकता पर आधारित सशक्त 'एकी आंदोलन' के माध्यम से एक सशक्त 'सैन्य प्रतिरोध' को संगठित किया था। इसी दौरान 12 अप्रैल, 1922 ई. को ब्रिटिश और रियासत की सम्मिलित सेना ने मेजर प्रिचार्ड के नेतृत्व में सियावा गांव के विध्वंस की घटना को अंजाम दिया था। प्रस्तुत शोध की मुख्य समस्या यह है कि सियावा की घटना को अक्सर एक 'विद्रोह' या 'कानून-व्यवस्था की समस्या' की दृष्टि से देखा जाता हैं, जबकि यह एक संगठित सैन्य प्रतिरोध था। सियावा गाँव का सैन्य टकराव गरासिया जनजाति का औपनिवेशिक अन्याय के प्रतिकार, संगठन शक्ति और जनजातीय सैन्य प्रतिरोध का एक नायाब उदाहरण हैं जो सदियों से हमें प्रेरित करता आया है।

बीज रूप शब्द- सियावा, आबूरोड़, भील, गरासिया जनजाति, मोतीलाल तेजावत, एकी आंदोलन, मेवाड़ भील कोर, अरावली, 1922।

परिचय

औपनिवेशिक शासन को उखाड़ने के लिए चले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में जनजातीय समुदायों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 20वीं सदी का दूसरा दशक भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा किसान व जनजातीय असंतोष के संलयन का काल था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चले आंदोलनों का प्रभाव भारत के जनमानस पर काफी गहरे रूप से पड़ा, जनता को जैसे अपने दुःख-दर्दों से मुक्ति की आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। इन आंदोलनों का जनजातीय जनमानस पर भी व्यापक असर हुआ। अंग्रेजी राज की स्थापना ने राजपूताना के दक्षिण हिस्से में रहने वाले भील-गरासियों को अत्यधिक प्रभावित किया। उनके राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, अब उनके अत्यधिक लगान, विविध लाग-बाग और बेगार की मांग की जाने लगी। उनकी

 ISSN: 2349-6002

पारंपरिक व्यवस्था को नष्ट करके जमीन, वनों और न्याय से संबंधित नित नए कानून लागू किए जाने लगे। इनके साथ सरकारी अधिकारियों के शोषण और अत्याचार ने भील-गरासियों में असंतोष को तीव्र कर दिया था।

1913 ई. में हुए मानगढ़ नरसंहार के पश्चात जनजातीय जागृति और आंदोलन में कुछ समय के लिए ठहराव आ गया था। परंतु 1920 ई. में शुरू असहयोग आंदोलन से प्रेरित होकर मोतीलाल तेजावत ने जनजातीय समुदाय को जागृत करने, उनकी स्थिति को सुधारने और उनकी बिखरी आवाज को एक संगठित स्वरूप प्रदान करने के लिए 'एकी आंदोलन' की शुरुआत की। अहिंसक रूप से शुरू हुआ एकी आंदोलन औपनिवेशिक दमन के कारण जल्द ही पारंपरिक जनजातीय सैन्य प्रतिरोध में बदल गया। 8 मार्च, 1922 ई. को हुए पाल छितरिया (दडवाव/नीमड़ा) नरसंहार के पश्चात सिरोही रियासत का सियावा और उसके आसपास का क्षेत्र नए प्रतिरोध का मुख्य केंद्र बनकर उभरा। जिस पर 12 अप्रैल, 1922 ई. को मेवाड़ भील कोर और अन्य अंग्रेजी बलों ने रियासती सेना के साथ मिलकर सियावा गांव को पहले लूटा और फिर जला दिया गया, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक क्रूरता का एक ज्वलंत उदाहरण है। (कुमार:2025)

शोध क्षेत्र - इस शोध कार्य का क्षेत्र राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित सियावा गांव हैं। जो गरासियों की मातृभूमि के नाम से विख्यात 'भाखर क्षेत्र' का प्रमुख गांव है। जहां पर गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा 'गौर मेला' भरता है।

शोध समस्या

प्रस्तुत शोध पत्र के संदर्भ में निम्नलिखित शोध समस्याएं दृष्टिगत होती हैं-

1. इतिहास लेखन में सीमांतीकरण- मुख्यधारा के इतिहास लेखन में सियावा विध्वंस जैसी सुदूर पहाड़ी क्षेत्रों में घटित घटनाओं को केवल फ़ुटनोट्स तक ही सीमित कर दिया गया है।

2. प्रतिरोध के स्वरूप की गलत व्याख्या- औपनिवेशिक रिकॉर्ड्स/लेखन में सियावा की घटना को 'एक विद्रोह' या 'उपद्रव' या 'कानून-व्यवस्था' की समस्या बताया गया। इस घटना का विश्लेषण 'सैन्य प्रतिरोध' की दृष्टि से नहीं हुआ, जबकि इसमें रणनीतिक लामबंदी, समांतर सरकार की स्थापना और गुरिल्ला युद्ध पद्धति शामिल थे।

शोध पद्धति

उपरोक्त शोध पत्र में 'ऐतिहासिक विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति' का उपयोग किया गया है।

1. प्राथमिक स्त्रोत: तत्कालीन होम, पॉलिटिकल और फॉरेन विभाग, राजपूताना एजेंसी तथा सिरोही राज्य की प्रशासनिक प्रतिवेदनों, खुफिया रेपोर्टों, पत्राचार, समकालीन पत्र-पत्रिकाओं आदि का उपयोग किया गया है।

2. द्वितीयक स्त्रोत: विषय संबंधित शोध ग्रंथों, पुस्तकों, जनगणना आकड़ों, जीवनी, मौखिक इतिहास आदि से संबंधित सामग्री ली गई है।

भौगोलिक पृष्ठभूमि

सिरोही रियासत का अरावली पर्वतीय क्षेत्र अपनी दुर्गम भौगोलिक स्थिति के लिए जाना जाता है। हिमालय पर्वत शृंखला और नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य स्थिति सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर 'गुरु शिखर' यही स्थित हैं। सियावा गांव राजस्थान के सिरोही जिले की आबूरोड़ तहसील में अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान और गुजरात की सीमा पर गिरवर दर्रे के पास अवस्थित है। सियावा आबूरोड़ शहर से 7 कि.मी. दूर आबूरोड़-अंबाजी मार्ग पर स्थित गरासिया जनजाति बाहुल्य गांव है। इसका विस्तार

24°23.621` उत्तरी अक्षांश से 72°46.309` पूर्वी देशांतर के मध्य 1828 हेक्टेयर में फैला हुआ है। (Kishan:2001) अरावली की सुरम्य पहाड़ियों में अवस्थित सियावा गरासिया जनजाति का प्रमुख गांव हैं जो 8 बस्तियों में फैला हुआ है- उपला जलोइया फली, निचला जलोइया फली, माताफली, मालियावास, सूलियाफली, चतराफली, खादराफली और लांबी रोड़ फली। इनकी बस्तियों को फली या वास के नाम से जाना जाता है। अरावली की पहाड़ी ढलानों स्थित इन बस्तियों में अलग-अलग या गोत्र विशेष के गरासिया निवास करते है। (कुमार:2023) 2011 की जनगणना के अनुसार सियावा की जनसंख्या 4599 है जिसमें से 4489 लोग अनुसूचित जनजाति के है। गरासियों के अलावा यहां पर अल्प संख्या में भील, राव, मेघवाल, नाई और हीरागर जाति के लोग भी निवास करते है। (C.o.I.:2011)

सियावा गांव भौगोलिक रूप से अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में स्थित अत्यंत ऊबड़-खाबड़, तीखी ढलानों, संकरे रास्तों और वनों से आच्छादित एक पहाड़ी क्षेत्र है। जिसे स्थानीय भाषा में 'भाकर' के नाम से जाना जाता है। इन पहाड़ियों की तलहटी में ऊबड़-खाबड़ ढलानों और खादरियों पर गरासिया जनजाति निवास करती है। यहां के लोग मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र, छोटी जोतो और सिंचाई के साधनों के अल्प विकसित स्थिति के कारण जीवन निर्वाह करना कठिन हो जाता है। जिस कारण से लोगों को कृषि व पशुपालन के साथ मजदूरी पर भी जाना पड़ता है। कठिन पारिस्थितिकी रहने और जीवन में हर कदम पर संघर्षशीलता के कारण गरासियों को 'भाकर का भोमिया' के रूप से भी जाना जाता है। गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला भी सियावा में ही आबूरोड़-अंबाजी मार्ग पर नाले के आसपास प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण पंचमी को भरता हैं जिसे 'गोर के मेले' नाम से जाना जाता है। (क्षेत्र कार्य से)

सामरिक महत्व - सियावा गांव की स्थिति सैन्य परिप्रेक्ष्य से रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अरावली की कटी-फटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों और संकरे रास्तों से घिरा होने के कारण बाहरी सेना का प्रवेश कठिन था। यह जनजातियों के लिए 'प्राकृतिक किले' का कार्य करते थे, जहां वे छिपकर गुरिल्ला पद्धति से बाहरी आक्रांताओं का सामना करते थे। इसी कारण ब्रिटिश सेना को पारंपरिक युद्ध के स्थान पर तोपों और आगजनी का सहारा लेना पड़ा था।

ऐतिहासिक संदर्भ

गरासिया जनजाति की उत्पत्ति 13वीं सदी में मुस्लिम आक्रमण के फलस्वरूप उत्पन्न विशिष्ट परिस्थिति में राजपूत पुरुष और भील महिला से मानी जाती है। अरावली की पहाड़ियों की ऊबड़-खाबड़ भूमि, घाटियों और वन संपदा ने गरासिया जनजाति को सांस्कृतिक स्वतंत्रता और राजनीतिक स्वायत्तता का आधार प्रदान किया है। प्रारम्भिक समय से ही गरासिया जनजाति व्यक्तिगत स्वातंत्र्य वाली स्वाभिमानी जनजाति रही है। इन्होंने हमेशा से अन्याय का विरोध किया और संकट के समय सिरोही, मेवाड़ आदि स्थानीय शासकों को सैन्य सहायता के साथ आश्रय भी उपलब्ध करवाया था। जिसके बदले में स्थानीय शासकों ने उन्हें कर मुक्त भूमि और राजनीतिक अधिकार प्रदान किए थे। अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद उनके राजपूताना के क्षेत्र में आगमन तक गरासिया जनजाति अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों का उपभोग कर रहे थे।

1818 ई. का वर्ष राजस्थान के इतिहास को नया मोड़ देने वाला साबित हुआ। इस वर्ष के अंत तक सिरोही राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण राजपूताना की रियासतों ने ब्रिटिश सर्वोच्चता को स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार ने औपनिवेशिक स्वार्थ की

 ISSN: 2349-6002

सिद्धि के लिए 1823 ई. में सिरोही के शासक को अधीन करके जनजातीय क्षेत्रों में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। उन्होंने इन्हें परंपरागत अधिकारों को छोड़ने के लिए बाध्य किया और नए कानून-कायदे और व्यवस्था को लागू किया। अब जनजातीय लोगों को कर देने और बेगार करने के लिए मजबूर किया जाने लगा।

1. ब्रिटिश सरकार ने अपने फायदे और जनजातीय लोगों के शोषण के लिए महाजन और मकराणी लोगों को इस क्षेत्र में बसाया और संरक्षण प्रदान किया। अंग्रेजों ने अपनी 'फुट डालो और राज करो' की नीति के कारण स्थानीय शासकों, जागीरदारों/जमींदारों और प्रजा के संबंधों को जानबूझकर टकराव में बदला। जिससे उनके सदियों से सहयोग पर आधारित संबंधों को दुश्मनी में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने जनजातीय लोगों को अन्य समाजों से अलग-थलग करने के लिए कई प्रकार की रणनीतियों को अपनाया था। लेकिन गरासियों ने अपनी पारंपरिक व्यवस्था और समाज के आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप का अपने जीवन की कीमत पर भी विरोध किया। उपरोक्त सभी परिस्थितियों ने जनजातीय सैन्य प्रतिरोध के लिए आधारभूमि तैयार की थी। (कुमार:2025) (NAI:428-P:1923)

सिरोही राज्य में जनजातीय सैन्य प्रतिरोध का उभार: एकी आंदोलन

1915 ई. में महात्मा गांधीजी का भारत वापस आगमन भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में एक युग परिवर्तनकारी घटना थी। गांधीजी ने ब्रिटिश शासन की अन्यायी और शोषणकारी नीतियों के प्रतिकार के रूप में सत्य, अहिंसा, असहयोग और बहिष्कार को एक प्रभावी हथियार के रूप में उपयोग में लिया। गांधीजी के असहयोग आंदोलन की गूंज भारत के हर कोने में पहुँचने लगी। उनके इसी आंदोलन से प्रेरित होकर मोतीलाल तेजावत ने जुलाई, 1921 ई. में चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडियाँ से राजपूताना के भील और गरासियों को संगठित करके 'एकी' नामक एक नए आंदोलन का सूत्रपात किया। (RSAU:1921-22)

राजपूताना में ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात गरासिया जनजाति राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्पीड़न, शोषण तथा उपेक्षा की शिकार हुई। औपनिवेशिक संरक्षण में रियासत और सामंतों ने गरासियों से विभिन्न प्रकार की लाग-बागों को वसूलना शुरू किया, हासिल में वृद्धि कर दी गई, नए वन्य कानून एवं जंगलात कर लगाकर वन्य उपयोग को अत्यंत सीमित कर दिया गया, राज्य-सामंत-अधिकारियों द्वारा हर कार्य के लिए बेगार लेना तो जैसे उनका अधिकार बन गया था, पुलिस-प्रशासन के झूठे मुकदमों और जुर्माने आदि ने तो उनकी कमर ही तोड़ दी थी। अकूट अत्याचार और शोषण से पीड़ित गरासियों के लिए मोतीलाल तेजावत का आह्वान आशा की एक नई किरण था। उन्होंने औपनिवेशिक और रियासती दमन के विरुद्ध तेजावत के नेतृत्व में भीलों के साथ मिलकर करबंदी के साथ असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया।

प्रतिरोध का स्वरूप- मोतीलाल तेजावत के एकी आंदोलन का आरंभिक स्वरूप सामाजिक और आर्थिक था। तेजावत ने सर्वप्रथम जनजातीय समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधारों को प्रारंभ किया था। जिसमें उन्हें अत्यधिक सफलता मिली, जनजातीय समाज सामाजिक और धार्मिक रूढ़ियों, प्रथाओं, मांसाहार और मद्यपान से मुक्त होकर पवित्र जीवन जीने लगा।

1. एकी की शपथ- तेजावत ने भील-गरासियों को 'एकी' (Unity) में रहने की पवित्र शपथ दिलाई। अब धार्मिक शपथ का इस्तेमाल सामूहिक संगठन बनाने और जनजातीय समुदाय में एकता स्थापित करने के लिए किया जाने लगा। इस प्रकार धार्मिक

 ISSN: 2349-6002

वचनों के माध्यम से सामाजिक एकता को राजनीतिक ताकत में बदल दिया।

2. कर बंदी आंदोलन- गरासिया जनजाति ने तेजावत के नेतृत्व में बेगार प्रथा, भू-राजस्व में अत्यधिक वृद्धि और पुलिस और राजस्व अधिकारियों के शोषण और अत्याचारों के विरुद्ध अहिंसक तरीके से राज्य और ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी बात रखने की कोशिश की। जब उनकी जायज मांगों को राज्य प्रशासन और अंग्रेज अधिकारियों ने अनसुना कर दिया, तो मजबूरन उन्हें 'कर बंदी' आंदोलन शुरू करना पड़ा।

2. समांतर सरकार की स्थापना- तेजावत ने एक आर्थिक और सामाजिक कार्य योजना से जनजातीय लोगों में प्रतिरोध को एक नया स्वरूप प्रदान किया। जनजातीय लोगों के लिए बेगार नहीं करना और कर अदा नहीं करने का अहिंसक तरीके से विरोध करना एकदम नया था। उन्होंने सिरोही जिले के भुला गाँव में सभा करके भीलों और गरासियों की एक नई सरकार बनाने का निर्णय किया। तेजावत ने भविष्य के आपसी मतभेदों को हल करने और एक शासक के रूप में न्याय के लिए नई सरकार में भुला गाँव के पीथा गरासिया व हंसिया भील को जज, सोमा और जीवा गरासिया को फौजदार, खेमा गरासिया को थानेदार और मानिंग गरासिया को दीवान के रूप में नियुक्त किया गया। (NAI:428-P:1923)

नई सरकार की स्थापना ने भील-गरासियों को सामूहिक रूप से एकजुट कर दिया तथा स्थानीय नेतृत्व का विकास हुआ। इस तरह आर्थिक शोषण और सामाजिक न्याय की नींव पर शुरू हुआ एकी आंदोलन राजनीतिक अन्याय एवं सामंती षड्यंत्रों के कारण राजनीतिक स्वरूप में परिणति को दर्शाता है। इस आंदोलन का लक्ष्य शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करके स्वशासन की स्थापना करना दृष्टिगत होता हैं।

3. सैन्य प्रतिरोध- तेजावत के निर्देशन में भील-गरासियों ने तीर-कमान, तलवारें आदि पारंपरिक हथियारों के साथ पुरानी तोड़दार बंदूकों से स्वयं को लैस करना शुरू कर दिया था। सैन्य प्रतिरोध में सरकारी संस्थानों और पुलिस थानों का घेराव करके उन्हें नष्ट करना और सामान लूट लेना, लगान अदा करने से मना करना तथा गुरिल्ला युद्ध पद्धति से रियासती और सामंती शासन को उखाड़ फेंकना आदि सम्मिलित थे।

सियावा विध्वंस

सिरोही रियासत के दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र में स्थित सियावा गांव एकी आंदोलन के दौरान औपनिवेशिक और सामंती सत्ता के प्रतिरोध का एक मुख्य केंद्र बना। ब्रिटिश शासन की स्थापना के पश्चात औपनिवेशिक शोषणकारी नीतियों के कारण भील और गरासिया जनजाति की पारंपरिक व्यवस्था व अधिकारों, रियासत व स्थानीय जागीरदारों के साथ संबंधों आदि में अभूतपूर्व बदलाव आने लगे; जिससे जनजातीय समुदाय को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक रूप से प्रभावित किया। सियावा की घटना औपनिवेशिक नीतियों और सामंती व्यवस्था का ही नतीजा थी। इस घटना के पीछे निम्न कारण प्रमुख रूप से जिम्मेदार रहे थे-

1. पारंपरिक प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव- इस क्षेत्र में अंग्रेजों के आने से पहले भील-गरासिया लोग राहगीरों और व्यापारियों से अपने क्षेत्र से सुरक्षित आवागमन के बदले 'बोलाई' तथा आसपास के लोगों से 'रखवाली' नामक कर वसूला करते थे, परंतु अंग्रेजों ने उन्हें इन अधिकारों को छोड़ने और खेती करने के लिए मजबूर किया।

2. अत्यधिक करों का बोझ- अंग्रेजी संरक्षण में अब भील-गरासियों से नियमित हासिल (राजस्व) की वसूली की जाने लगी और बंदोबस्त के नाम पर उसमें अत्यधिक वृद्धि की गई थी। इसके साथ ही उनसे अनेक प्रकार की लाग-बागें भी ली जाने लगी थी।

 ISSN: 2349-6002

जिससे उपज का बड़ा भाग लगान व लाग-बागों के रूप में ले लिया जाता था।

3. बेगार प्रथा- इनको सबसे ज्यादा परेशानी बेगार से थी, जो उस समय एक आम बात थी। एक ओर ब्रिटिश और रियासती अधिकारी जनजातीय लोगों को बिना मजदूरी के मुक्त में हर प्रकार के कार्य करने के लिए मजबूर करते थे, दूसरी ओर उन्हें सिपाही और अहलकारों की गाली-गलौच व मारपीट को भी सहन करना पड़ता था।

4. वन्य अधिकारों का हनन- अंग्रेजी राज की स्थापना के पश्चात विभिन्न वन्य कानून बनाकर जनजातीय लोगों को उनकी आजीविका और जीवन से जुड़े मुख्य साधन से वंचित कर दिया गया था।

5. भ्रष्ट प्रशासन- ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने रियासतों को नैतिक रूप से खोखला कर दिया था, जिससे वे जन हितकारी कर्तव्य से विमुख होने लगे थे। राज्य के अधिकारी/कर्मचारी, महाजनी व्यवस्था और जागीरदार जनजातीय लोगों का शारीरिक व आर्थिक शोषण करते थे। नवीन औपनिवेशिक प्रणाली पर आधारित न्याय व्यवस्था पूरी तरह से सामंतों, महाजनों, ठेकेदारों और राज्य के अहलकारों के पक्ष में थी। राज्य के अधिकारी/कर्मचारी जनजातीय लोगों से स्वयं के लिए अतिरिक्त राजस्व और उपकर (लाग) की वसूली गैरकानूनी रूप से करते थे।

6. तत्कालीन कारण- 1920 ई. में नवीन भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगान (भू-राजस्व) की दर में अत्यधिक वृद्धि कर दी गई। जिससे भील-गरासियों में राज्य के प्रति असंतोष फैल गया। वे पुरानी दर से लगान देने को तैयार थे, पर राज्य इसके लिए राजी नहीं था। (NAI:428-P:1923)

घटनाक्रम- सियावा के गरासियों ने सिरोही राज्य के अन्य सजातीय बंधुओं के साथ मिलकर सिरोही दरबार, आबू मजिस्ट्रेट और माउंट आबू पर अंग्रेज अधिकारियों को अपनी शिकायतें प्रस्तुत करने का प्रयास किया। परंतु सभी जगह से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। (NAI:428-P:1923) 11 फरवरी, 1922 ई. को गांधीजी द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने पर अंग्रेज सरकार ने सभी राज्यों को किसान और जनजातीय आंदोलनों को सैन्य शक्ति से कुचलने को कहा। अपनी शिकायतों की सुनवाई नहीं होने पर गरासियों ने बिना लाटा-कुंता के ही फसल को घर पर ले गए। (व्यास:2013) 5 अप्रैल को आंदोलन अपने चरम पर पहुंच गया, मेजर प्रिचार्ड ने गरासियों को डरा-धमकाकर 'एकी' तुड़वाने की कोशिश की।

6 अप्रैल को सियावा में 40 गांवों के गरासियों ने एकत्रित होकर 52 राज्यों के भील-गरासियों की शिकायतों के समाधान तक 'एकी' नहीं तोड़ने का निश्चय किया। लेकिन मेजर प्रिचार्ड और सिरोही दीवान हर हाल में एकी हो तुड़वाना चाहते थे। इसी दिन सिरोही दीवान और पॉलिटिकल एजेंट ने गरासिया मुखिया के घर पर तोड़फोड़ करके अनाज उठा ले जाने लगे। जिस पर गरासियों ने युद्ध के ढोल बजाते हुए पहाड़ी की चोटियों पर मोर्चाबंदी कर दी तथा सियावा में आबकारी ठेकदार और एक्साइज कॉन्ट्रेक्टर को अपमानित करते हुए दुकानों में लूटपाट की। 7 अप्रैल को आबूरोड़ में बड़ी संख्या में गरासियों ने एकत्रित होकर राज्य द्वारा की गई लूटपाट का विरोध किया। 8 अप्रैल को सियावा में सात हजार लोग एकत्रित हुए। 10 अप्रैल को दो हजार गरासिया सियावा में जुटे और आबूरोड़ के पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की पहाड़ियों पर अन्य 3 हजार गरासियों ने इकट्ठा होकर मोर्चाबंदी की, ताकि किसी भी बल प्रयोग को रोका जा सके।

इधर 10 अप्रैल को मेवाड़ भील कोर के सियावा पहुंचने पर राज्य और अंग्रेज सरकार ने 12 अप्रैल को कार्यवाही करने का तय किया। 11 अप्रैल को एक प्रतिनिधिमंडल के माध्यम से एक बार फिर से सैन्य कार्यवाही का डर दिखाकर 'एकी' को तोड़कर बकाया राजस्व अदा करने को कहा गया। परंतु राज्य की तरफ से विश्वासघात के खतरे के कारण समझौता

 ISSN: 2349-6002

वार्ता नहीं हो सकी। जिस पर सिरोही दरबार और अंग्रेजों की संयुक्त सेना ने 12 अप्रैल की सुबह 3 बजे गोलाबारी शुरू कर दी थी। (NAI:428-P:1923) गरासिया ने कुछ समय तक प्रतिरोध किया, लेकिन स्थिति के गंभीर होने पर मोर्चेबंदी और गांव को छोड़कर ऊपर पहाड़ियों में सुरक्षित स्थानों पर चले गए। सेना ने लूटपाट करने के पश्चात घरों, अनाज, चारे के साथ जानवरों को भी आग लगा दी। अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार इस संघर्ष में दल्ला, दीता और भुता आदि 3 गरासिया मारे गए। (RASB:3:372:1922) राज्य और ब्रिटिश सेना ने सियावा गांव में विध्वंस और आर्थिक विनाश की रणनीति अपनाई गई ताकि अन्य स्थानों पर भी हो रहे प्रतिरोध को हमेशा के लिए कुचल सके तथा भविष्य में कोई उनके विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सके।

सियावा गांव को जलाने से पिंडवाड़ा, भाकर और रोहिड़ा परगनों के लोगों में असंतोष को ओर बढ़ा दिया था। अपने रिश्तेदारों व परिवार के लोगों को खोने वाली महिलाएं अभी भी खून का बदला लेने की सौगंध खा रही थी। गरासियों के समूह आबूरोड़-गुजरात के मुख्य रास्ते की निरंतर निगरानी कर रहे थे। (NAI:428-P:1923) इस पूरे प्रतिरोध के पीछे मोतीलाल तेजावत का स्पष्ट वैचारिक नेतृत्व महत्वपूर्ण का योगदान रहा। तेजावत ने समांतर सरकार और जनजातीय पंचायती व्यवस्था के माध्यम से स्थानीय नेतृत्व को उभारा, जिसने भील-गरासिया लोगों का मार्गदर्शन और नेतृत्व किया।

निष्कर्ष

सियावा विध्वंस (12 अप्रैल, 1922 ई.) की घटना का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अति महत्वपूर्ण घटना है। उपरोक्त घटना ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक सशक्त जनजातीय सैन्य प्रतिरोध का नायाब उदाहरण है। क्योंकि अल्प संसाधन और इसके परिणाम को जानते हुए भी अपने से की गुणा ताकतवर सेना का सामना अत्यंत बहादुरी से किया। उपरोक्त शोध से निम्नलिखित निष्कर्ष इसके सुनियोजित सैन्य प्रतिरोध को स्पष्ट करते है- 1. रक्षात्मक व्यूहरचना- गरासिया लोगों ने शासन की प्रतिक्रिया को पहले ही भाप लिया था। उन्होंने ऊंची पहाड़ियों और वृक्षों पर जरूरी सामान (हथियार, अनाज, कपड़ें आदि) को पहले ही छुपा दिया था, ताकि लंबे समय तक संघर्ष किया जा सके। उन्होंने पहाड़ी नाकों पर मोर्चेबंदी करके तोड़दार बंदूकों के साथ तीर-कमान, गोफण आदि पारंपरिक हथियारों से अपने कई गुणा अधिक शक्तिशाली सेना का मुकाबला किया। 2. कमांड और कंट्रोल- गरासिया मुखिया तेजावत के निर्देशों पर कार्य कर रहे थे। ढोल और किल्कारियों की विशिष्ट आवाज के माध्यम से संदेशों और सेना की स्थिति की जानकारी को साझा किया। उन्होंने औपनिवेशिक शासन के सामने झुकने के स्थान पर अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ा। 3. राज्य की संप्रभुता को चुनौती- उन्होंने अपनी समांतर सरकार की स्थापना करके, उनमें विभिन्न कार्यों का विभाजन सैन्य प्रतिरोध का चरम रूप था। 4. मनोबल- जब अंग्रेज और राज्य दोनों मिलकर भी गरासियों को अपनी शर्तें नहीं मनवा पाएं तो उन्होंने क्रूरता की सारी हदों को पर करते हुए गरासियों के मवेशी, घरेलू सामान, गहनों और हथियारों को या तो लूट लिया या जला दिया। पूरे गांव को आग लगा दी गई। गोलाबारी और आगजनी से व्यापक जन-धन की हानि हुई, परंतु इससे वे गरासियों में प्रतिरोध की भावना को नहीं मिटा सके। उपरोक्त कृत्य राज्य और अंग्रेज सेना की नैतिक पराजय और जनजातियों की अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। सियावा विध्वंस की घटना ने कालांतर में सिरोही राज्य प्रजामंडल आंदोलन को उभारने और पूर्णाहुति तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संदर्भ ग्रंथ सूची

[1] NAI; Foreign and Political Department, File No. 428-P (Secret), 1923, Serial Nos. 1-126, 07 May 1922, Press Release Shimla, 1923
[2] RSAB; Basta No. 3, File No. 372, Part-I, 1922
[3] RSAU; Residency (Jagir Records), Basta No. 65, File No. 91, 1921
[4] Kishan, R. Hari; Census of India 2001, Series-9, Rajasthan, District Census Handbook, Part- A & B, Sirohi District, 2001
[5] Census of India 2011 Rajasthan, Series-9, District Census Handbook Sirohi, Part- XII-A, Village and Town Directory, 2011
[6] Fighting in Sirohi State of Rajputana - The Hongkong Daily Press, 17 April, 1922, Monday
[7] कुमार, अशोक; आबू-पिंडवाड़ा की गरासिया जनजाति का ऐतिहासिक अध्ययन (1850-1950 ई.), अहमदाबाद, गुजरात विश्वविद्यालय, 2025
[8] व्यास, रामप्रसाद; आधुनिक राजस्थान का वृहत इतिहास, खंड-2, जयपुर, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी, 2013, चतुर्थ संस्करण
[9] कुमार, अशोक; गरासिया गौर, GAP भाषा जर्नल (2582-8770), खंड 4, अंक 3, जुलाई- सितंबर, 2023